राजा महेन्द्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, अलीगढ़
Email:- registrar.rmpu@gmail.com,

पत्रांकः–आर0एम0पी0यू0 //1352/ 2025 दिनांकः 04 जुलाई, 2025

सूचना

विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालय प्राचार्य/प्राचार्या को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, अलीगढ़ के पत्र संख्या–C–349/स०क०/छात्रवृत्ति /2025–28 दिनांक 25.06.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके माध्यम से शैक्षणिक सत्र 2025–26 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत उच्च कक्षाओं में अध्ययनरत उ०प्र० के मूल निवासी छात्र/छात्राओं हेतु शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए शासन द्वारा आवेदन करने हेतु दिनांक 10.07.2025 से पोर्टल खोले जाने से अवगत कराते हुए शासनादेश संख्या–115/2025/1370/26–03–2025–1741061 समाज कल्याण अनुभाग–3 लखनऊ दिनांक 10.06.2025 एवं 119/2025/1400/26–03 –2025– 1513982 दिनांक 18.06.2025 समय सारिणी जारी की गयी है। (संलग्न)

नियमावली में दी गयी व्यवस्था के अनुसार छात्रवृत्ति आनलाइन आवेदन में लगने वाला आय प्रमाण छात्र/छात्रा के पिता का एवं पिता के न होने की स्थिति में माता का तथा माता/पिता दोनों के जीवित न होने की दशा में संरक्षक का मान्य होगा तथा छात्रा के विवाहित होने की स्थिति में पिता के स्थान पर उसके पति का आय प्रमाण पत्र मान्य होगा।

संलग्नक–यथोक्त।

उप कुलसचिव

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. नोडल/सह नोडल छात्रवृत्ति।
2. निजी सचिव, कुलपति, मा0 कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
3. कुलसचिव कार्यालय।
4. पटल प्रभारी छात्रवृत्ति।
5. गार्ड फाईल।

उप कुलसचिव

1634
25/06/25

कार्यालय– जिला समाज कल्याण अधिकारी अलीगढ।

पत्र संख्या C-349 स0क0 / छात्रवृत्ति / 2025–26 दिनांक 25/6/25

1. मुख्य सचिव / छात्रवृत्ति नोडल अधिकारी
   राजा महेन्द्र प्रताप विश्वविद्यालय / अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय / मंगलायतन विश्वविद्यालय अलीगढ।
2. समस्त प्राचार्य / निदेशक,
   कालेज / मेडीकल / बी0एड0 / बी0टी0सी / पौलोटिक्निक / फार्मेसी / आई0टी0आई0इत्यादि अलीगढ।
3. समस्त प्रधानाचार्य, इन्टरमीडियेट / माध्यमिक विद्यालय अलीगढ।

विषय– छात्रवृत्ति आनलाइन आवेदन पत्र में लगाये जाने वाले आय प्रमाण पत्र के संबंध में।

उपर्युक्त विषयक निदेशालय समाज कल्याण उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या सी 1426 / स0क0 / शिक्षा–अ / 9 / 2025–26 दिनांक 18.06.25 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके क्रम मे अवगत कराना है कि शैक्षणिक सत्र 2025–26 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत उच्च कक्षाओं में अध्ययनरत उ0प्र0 के मूल निवासी छात्र / छात्राओं हेतु शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना से लाभान्वित होने हेतु शासन द्वारा आवेदन करने हेतु दिनांक 10.07.2025 से पोर्टल खोले जाने से अवगत कराते हुए समय सारिणी पत्र संख्या 115 / 2025 / 1370 / 26–3–2025–1741051 दिनांक 10.06.2025 जारी की गयी है।

नियमावली में दी गयी व्यवस्था के अनुसार छात्रवृत्ति आनलाइन आवेदन में लगने वाला आय प्रमाण छात्र / छात्रा के पिता का एवं पिता के न होने की स्थिति में माता का तथा माता / पिता दोनों के जीवित न होने की दशा में संरक्षक का मान्य होगा तथा छात्रा के विवाहित होने की स्थिति में पिता के स्थान पर उसके पति का आय प्रमाण पत्र मान्य होगा।

अतः आपसे अपेक्षा है कि उपरोक्त पत्र में उल्लिखित निर्देशों का पालन करने का कष्ट करें।

R-968
28/06/25

संलग्नः– यथोक्त।

DIR

28/06/25

जिला समाज कल्याण अधिकारी
अलीगढ।

पृष्ठांकन संख्या व तद्दिनांक उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपिः– निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, समाज कल्याण उ0प्र0 लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, अलीगढ।
3. मुख्य विकास अधिकारी, अलीगढ।
4. समस्त उप जिलाधिकारी अलीगढ।
5. उप निदेशक, समाज कल्याण अलीगढ मण्डल अलीगढ।
6. जिला सूचना अधिकारी, अलीगढ को इस आशय के साथ कि उक्त को दैनिक समाचार पत्रों में छात्र हित में निशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

जिला समाज कल्याण अधिकारी
अलीगढ

प्रेषक,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक- 1526 /स0क0/शिक्षा-अ/9/ /2025-26,

लखनऊ: दिनांक 18 जून 2025

विषय:- छात्रवृत्ति आनलाइन आवेदन पत्र में लगाये जाने वाले आय प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि शैक्षणिक सत्र 2025-26 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत उच्च कक्षाओं में अध्ययनरत उ0प्र0 के मूल निवासी छात्र/छात्राओं हेतु शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्कप्रतिपूर्ति योजना से लाभान्वित होने हेतु शासन द्वारा आवेदन करने हेतु दिनांक 10.07.2025 से पोर्टल खोले जाने से अवगत कराते हुए समय सारिणी पत्र संख्या 115/2025/1370/26-3-2025-1741051 दिनांक 10.06.2025 जारी की गयी है।

नियमावली में दी गयी व्यवस्था के अनुसार छात्रवृत्ति आनलाइन आवेदन में लगने वाला आय प्रमाण छात्र/छात्रा के पिता का एवं पिता के न होने की स्थिति में माता का तथा माता/पिता दोनों के जीवित न होने की दशा में संरक्षक का मान्य होगा तथा छात्रा के विवाहित होने की स्थिति में पिता के स्थान पर उसके पति का आय प्रमाण पत्र मान्य होगा।

अतः आपसे अनुरोध है कि अपने स्तर से मुख्य विकास अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें कि वे अपने स्तर से जनपद में संचालित शैक्षणिक संस्थानो के नोडल अधिकारियो, राजस्व विभाग के अधिकारियों को उक्तानुसार अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:- यथोक्त

भवदीय

Digitally signed by
KUMAR PRASHANT
Date: 18-06-2025
12:29:24

(कुमार प्रशान्त)
निदेशक

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- विशेष सचिव, समाज कल्याण, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को सूचनार्थ।

2- समस्त मण्डलीय संयुक्त/उप निदेशक को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्तानुसार अवगत होते हुए आवश्यक कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करें।

3- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्तानुसार अवगत होते हुए आवश्यक कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करें।

1632
25/06/25

कार्यालय– जिला समाज कल्याण अधिकारी अलीगढ।

प0स0 संख्या C-350 /स0क0/छात्रवृत्ति/2025–26 दिनांक 25/6/25

1– कुल सचिव/छात्रवृत्ति नोडल अधिकारी
राजा महेन्द्र प्रताप विश्वविद्यालय/अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय/ मंगलायतन विश्वविद्यालय अलीगढ।

2 समस्त प्राचार्य/निदेशक,
कालेज/मैडीकल/बी0एड0/बी0टी0सी/पौलोटिक्निक इत्यादि अलीगढ।

विषयः– वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2025–26 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत उच्च कक्षाओं में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) भुगतान हेतु समय–सारणी का प्रेषण।

मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी शासनादेश संख्या 119/2025/1400/26–3–2025–1513982 समाज कल्याण अनुभाग–3 दिनांक 18.06.2025 जो निदेशालय समाज कल्याण उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या सी–1476/स0क0/शिक्षा–अ/9/03/2025–26 लखनऊ दिनांक 20.06.2025 के माध्यम से प्राप्त हुआ है। जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2025–26 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत उच्च कक्षाओं में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) भुगतान हेतु समय–सारणी निर्गत की गयी है। जिसे संलग्न कर इस आशय के साथ प्रेषित किया जा रहा है, कि समय–सारणी के अनुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नः– यथोक्त।

R-966
28/06/25

जिला समाज कल्याण अधिकारी
अलीगढ।

पृष्ठाकन संख्या व तदि्दनांक उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपिः– निम्नाकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, समाज कल्याण उ0प्र0 लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, अलीगढ।
3. मुख्य विकास अधिकारी, अलीगढ।
4. उप निदेशक, समाज कल्याण अलीगढ मण्डल अलीगढ।
5. जिला सूचना अधिकारी, अलीगढ को इस आशय के साथ कि उक्त को दैनिक समाचार पत्रों में छात्र हित में निशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

जिला समाज कल्याण अधिकारी
अलीगढ

संख्या-119/2025/1400/26-3-2025-1513982

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण/जनजाति विकास,
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग 3 लखनऊः दिनांक 18 जून, 2025

विषय-वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2025-26 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत उच्च कक्षाओं में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्र/छात्राओं को शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति भुगतान हेतु समय-सारिणी का शासनादेश निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, समाज कल्याण के पत्र संख्या-1082-54/स0क0/शिक्षा-अ/9/3/2025-26 दिनांक 26.05.2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2025-26 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत उच्च कक्षाओं में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्र/छात्राओं को शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति भुगतान हेतु समय-सारिणी का शासनादेश निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2025-26 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) योजना से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों का प्रदेश के अन्दर एवं वाह्य प्रदेशों में संचालित शिक्षण संस्थाओं द्वारा मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित होने, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उच्च कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं द्वारा ऑनलाइन आवेदन से छात्रवृत्ति वितरण तक की समस्त कार्यवाही हेतु समय-सारिणी जारी की जाती है।

3- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत उच्च कक्षाओं के छात्र/छात्राओं को प्रथम चरण में 15 दिसम्बर 2025 तक, द्वितीय चरण में 24 जनवरी 2026 तक, तृतीय चरण में 10 मार्च 2026 तक व चतुर्थ चरण में 22 जून 2026 तक भुगतान किये जाने हेतु समयावधि निर्धारित है।

4- तद्क्रम में वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2025-26 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत शिक्षण संस्थाओं को मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित होने, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उच्च कक्षाओं (कक्षा-12 से ऊपर) में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं द्वारा आनलाइन आवेदन से छात्रवृत्ति वितरण तक की समस्त कार्यवाही हेतु निम्नानुसार समय सारिणी निर्गत की जा रही है:-

क्र0	प्रक्रियात्मक कार्यवाही	समयावधि
	मास्टर डाटा लॉक की कार्यवाही	
1	<u>शिक्षण संस्था द्वारा मास्टर डाटा तैयार करना</u> प्रदेश में स्थित नवीन शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटा बेस में सम्मिलित होने के लिये आवेदन करने की कार्यवाही विश्वविद्यालय/ एफिलियेटिंग एजेंसी के माध्यम से किया जाना तदोपरान्त जिला समाज कल्याण अधिकारी से पासवर्ड प्राप्त करना। वाह्य प्रदेश में स्थित शासकीय /शासकीय सहायता प्राप्त नवीन शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटा बेस में सम्मिलित होने के लिये आवेदन करना	07 जुलाई, 2025 से 25 नवम्बर, 2025 तक

1633
25/06/25

कार्यालय– जिला समाज कल्याण अधिकारी अलीगढ।

पत्र संख्या C-351 / स0क0 / छात्रवृत्ति / 2025–26 दिनांक 25/6/25

1. समस्त प्रधानाचार्य, इन्टरमीडियेट कालेज जनपद अलीगढ। (द्वारा शिक्षा विभाग)
2. समस्त प्रधानाचार्य, माध्यमिक विद्यालय अलीगढ। (द्वारा शिक्षा विभाग)

विषयः– वित्तीय वर्ष / शैक्षिक सत्र 2025–26 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य वर्ग, अन्य पिछडा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग पूर्व दशम (कक्षा 9–10) तथा दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत कक्षा (11–12) के छात्र / छात्राओं को छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) भुगतान हेतु समय–सारणी का प्रेषण।

मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी शासनादेश संख्या 120 / 2025 / 1371 / 26–3–2025–1396097 समाज कल्याण अनुभाग–3 दिनांक 18.06.2025 जो निदेशालय समाज कल्याण उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या सी–1475 / स0क0 / शिक्षा–अ / 9 / 03 / 2025–26 लखनऊ दिनांक 20.06.2025 के माध्यम से प्राप्त हुआ है। जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष / शैक्षिक सत्र 2025–26 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य वर्ग, अन्य पिछडा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग पूर्व दशम (कक्षा 9–10) तथा दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत कक्षा (11–12) के छात्र / छात्राओं को छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) भुगतान हेतु समय–सारणी निर्गत की गयी है। जिसे संलग्न कर इस आशय के साथ प्रेषित किया जा रहा है, कि समय–सारणी के अनुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नः– यथोक्त।

जिला समाज कल्याण अधिकारी
अलीगढ।

R-964
28/06/25

D/R

पृष्ठांकन संख्या व तद्दिनांक उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपिः– निम्नाकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, समाज कल्याण उ0प्र0 लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, अलीगढ।
3. मुख्य विकास अधिकारी, अलीगढ।
4. उप निदेशक, समाज कल्याण अलीगढ मण्डल अलीगढ।
5. जिला सूचना अधिकारी, अलीगढ को इस आशय के साथ कि उक्त को दैनिक समाचार पत्रों में छात्र हित में निशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
6. जिला विद्यालय निरीक्षक, अलीगढ को इस अनुरोध के साथ कि अपने स्तर से समस्त शिक्षण संस्थाओं को अवगत कराने का कष्ट करें।
7. जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी अलीगढ।
8. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, अलीगढ।

जिला समाज कल्याण अधिकारी
अलीगढ

कार्यालय जिलाधिकारी हाथरस।

पत्रांक 6-7265 /स0क0/छात्रवृत्ति/समय-सारिणी/2025-26 दिनांक 27/6/ 2025

समस्त,

प्रबन्धक/ प्राचार्य/प्रधानाचार्य/छात्रवृत्ति नोडल अधिकारी,
(डिग्री कॉलेज / महाविद्यालय / टेक्निकल कॉलेज/फार्मेसी कॉलेज/आई०टी०आई० कॉलेज आदि)
जनपद हाथरस।

विषयः- **वित्तीय वर्ष / शैक्षिक सत्र 2025-26 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत उच्च कक्षाओं में अध्ययनरत उ०प्र० के मूल निवासी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एवं सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) के अन्तर्गत कार्यवाही कराये जाने के सम्बन्ध में।**

उपरोक्त विषयक शासन द्वारा दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत उच्च कक्षाओं में अध्ययनरत उ०प्र० के मूल निवासी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एवं सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र/छात्राओं हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में शासनादेश संख्या 115/2025/1370/26-03-2025-1741061 समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 10 जून 2025 शासनादेश संख्या 119/2025/1400/26-03-2025-1513982 समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 18 जून 2025 द्वारा समय सारिणी निर्गत करते हुए, समय-सारिणी के अनुसार कार्यवाही किये जाने हेतु दिशा-निर्देश प्रदान किये गये हैं। जिसका विवरण निम्नवत है -

क0स0	प्रकियात्मक कार्यवाही	समयावधि
	मास्टर डाटा लॉक की कार्यवाही	
1	**शिक्षण संस्था द्वारा मास्टर डाटा तैयार करना -** प्रदेश में स्थित नवीन शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित होने के लिये आवेदन करने की कार्यवाही विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेन्सी के माध्यम से किया जाना, तदोपरान्त जिला समाज कल्याण अधिकारी से पासवर्ड प्राप्त करना। मास्टर डाटा में पूर्व में सम्मिलित संस्थाओं द्वारा पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, पाठ्यक्रमवार कुल सीटों की संख्या, समक्ष स्तर से निर्धारित शुल्क, पाठ्यक्रमवार एफिलियेटिंग एजेन्सी/विश्वविद्यालय के नाम आदि सूचनाओं को अंकित/अद्यतन करके डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित करना।	07 जुलाई 2025 से 25 नवम्बर 2025 तक
2	**विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेन्सी द्वारा फीस आदि का सत्यापन -** प्रदेश के अंदर सम्बन्धित विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेन्सी के नोडल अधिकारी द्वारा शिक्षण संस्था, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, सीटों की संख्या एवं फीस आदि को अंकित कर उसकी प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से ऑनलाइन सत्यापित करना।	08 जुलाई 2025 से 05 दिसम्बर 2025 तक
3	**मास्टर डाटा का सत्यापन -** समाज कल्याण, पिछडा वर्ग कल्याण तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा प्रख्यापित नियमावलियों में उल्लिखित व्यवस्थानुसार जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा प्रदेश के अन्दर शिक्षण संस्था, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, सीटो की संख्या आदि को अंकित कर उसकी प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से ऑनलाइन सत्यापित करके लॉक किया जाना। राजकीय/अनुदानित शिक्षण संस्थानों में तथा निजी शिक्षण संस्थानों में ऐसे पाठ्यक्रम जिनमें सक्षम प्राधिकारी स्तर से शुल्क का निर्धारण किया गया है, उन पाठ्यक्रमों की फीस को विश्वविद्यालय द्वारा लॉक की गयी	09 जुलाई 2025 से 12 दिसम्बर 2025 तक

	की गयी फीस की सीमा के अधीन जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा लॉक करना।	
4	**अल्पसंख्यक वर्ग हेतु एनएसपी पोर्टल पर पंजीकृत निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों की मार्किंग किया जाना –** मास्टर डाटा मे सम्मिलित व एनएसपी पोर्टल पर पंजीकृत निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों की जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल पर मार्किंग करना।	10 जुलाई 2025 से 22 फरवरी 2026 तक
	छात्र स्तर से ऑनलाइन आवेदन/भुगतान आदि की प्रकिया	
5	**छात्र/छात्राओं द्वारा रजिस्ट्रेशन/ऑनलाइन आवेदन –**	(10 जुलाई 2025 से 20 दिसम्बर 2025 तक सामान्य वर्ग/अल्पसंख्यकवर्ग/पिछडा वर्ग के छात्रों हेतु) (10 जुलाई 2025 से 31 मार्च 2026 तक अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के छात्रों हेतु)
6	**छात्र/छात्रा द्वारा फाइनल प्रिन्ट आउट निकालना –** छात्र/छात्रा द्वारा किये गये ऑनलाइन आवेदन फाइनल सब्मिशन करना।	(12 जुलाई 2025 से 23 दिसम्बर 2025 तक सामान्य वर्ग/अल्पसंख्यकवर्ग/पिछडा वर्ग के छात्रों हेतु) (12 जुलाई 2025 से 03 अप्रैल 2026 तक अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के छात्रों हेतु)
7	**हार्ड कॉपी छात्र/छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना –** ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकॉपी छात्र/छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नों सहित शिक्षण संस्थान में जमा किया जाना।	(24 दिसम्बर 2025 तक सामान्य वर्ग/अल्पसंख्यकवर्ग/पिछडा वर्ग के छात्रों हेतु) (06 अप्रैल 2026 तक अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के छात्रों हेतु)
8	**शिक्षण संस्थान द्वारा आवेदन पत्र को ऑनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना –** छात्र/छात्रा द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त करना, अपात्र छात्रों का आवेदन निरस्त करना तथा पात्र छात्रों का आवेदन ऑनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	(11 जुलाई 2025 से 10 जनवरी 2026 तक सामान्य वर्ग/अल्पसंख्यकवर्ग/पिछडा वर्ग के छात्रों हेतु) (11 जुलाई 2025 से 16 अप्रैल 2026 तक अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के छात्रों हेतु)
	प्रथम चरण	
9	**शिक्षण संस्थान द्वारा आवेदन पत्र को ऑनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना –** छात्र/छात्रा द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकॉपी एवं संलग्न	(10 दिसम्बर 2025 तक सामान्य वर्ग/अल्पसंख्यकवर्ग/पिछडा

	अभिलेखों से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करना, अपात्र छात्रों का आवेदन निरस्त करना तथा पात्र छात्रों का आवेदन ऑनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	वर्ग के छात्रों हेतु) (09 नवम्बर 2025 तक अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के छात्रों हेतु)
10	**विश्वविद्यालय / एफिलियेटिंग एजेन्सी द्वारा वास्तविक छात्रों का सत्यापन व अपात्र छात्र, पाठ्यकम व संस्था को ब्लॉक करना –** सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं एफिलियेटिंग एजेन्सी द्वारा संस्था में अध्ययनरत् वर्गवार वास्तविक छात्र संख्या की प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से ऑनलाइन सत्यापित करना। अपात्र छात्रों, पाठ्यकमों, संस्थाओं को ब्लॉक करना।	(11 दिसम्बर 2025 से 18 दिसम्बर 2025 तक सामान्य वर्ग / अल्पसंख्यकवर्ग / पिछडा वर्ग के छात्रों हेतु) (10 नवम्बर 2025 से 17 नवम्बर 2025 तक अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के छात्रों हेतु)
11	**एन0आई0सी0 द्वारा स्कूटनी –** PFMS सॉफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त प्राप्त डाटा को एन0आई0सी द्वारा निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर परीक्षण करके शुद्व डाटा पर निर्णय हेतु जनपदीय लॉगिन पर उपलब्ध कराना।	(11 दिसम्बर 2025 से 22 दिसम्बर 2025 तक सामान्य वर्ग / अल्पसंख्यकवर्ग / पिछडा वर्ग के छात्रों हेतु) (10 नवम्बर 2025 से 20 नवम्बर 2025 तक अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के छात्रो हेतु)
12	**जनपदीय समिति द्वारा शुद्व डाटा लॉक करना –** जनपदीय छात्रवृत्ति समिति द्वारा छात्रों के डाटा पर निर्णय करना तथा जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से डाटा लॉक किया जाना।	(23 दिसम्बर 2025 से 10 जनवरी 2026 तक सामान्य वर्ग / अल्पसंख्यकवर्ग / पिछडा वर्ग के छात्रों हेतु) (21 नवम्बर 2025 से 02 दिसम्बर 2025 तक अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के छात्रों हेतु)
13	**धनराशि का अन्तरण –** जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर पीएफएमएस प्रणाली के माध्यम से छात्र / छात्राओं के आधार सीडेड / एनपीसीआई से मैप्ड बैंक खातों में धनराशि अन्तरित करने की कार्यवाही।	(24 जनवरी 2026 तक सामान्य वर्ग / अल्पसंख्यकवर्ग / पिछडा वर्ग के छात्रों हेतु) (15 दिसम्बर 2025 तक अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के छात्रों हेतु)
	द्वितीय चरण	
14	**शिक्षण संस्थान द्वारा आवेदन पत्र को ऑनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना –** छात्र / छात्रा द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकॉपी एवं संलग्न अभिलेखों से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करना, अपात्र छात्रों का आवेदन निरस्त करना तथा पात्र छात्रों का आवेदन ऑनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	(11 दिसम्बर 2025 से 10 जनवरी 2026 तक सामान्य वर्ग / अल्पसंख्यकवर्ग / पिछडा वर्ग के छात्रों हेतु) (10 दिसम्बर 2025 तक अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के छात्रों हेतु)

15	**विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेन्सी द्वारा वास्तविक छात्रों का सत्यापन व अपात्र छात्र, पाठ्यक्रम व संस्था को ब्लॉक करना** – सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं एफिलियेटिंग एजेन्सी द्वारा संस्था में अध्ययनरत् वर्गवार वास्तविक छात्र संख्या की प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से ऑनलाइन सत्यापित करना। अपात्र छात्रों, पाठ्यक्रमों, संस्थाओं को ब्लॉक करना।	(12 जनवरी 2026 से 24 जनवरी 2026 तक सामान्य वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग/पिछडा वर्ग के छात्रों हेतु) (11 दिसम्बर 2025 से 18 दिसम्बर 2025 तक अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के छात्रों हेतु)
16	**एन0आई0सी0 द्वारा स्कूटनी** – PFMS सॉफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त प्राप्त डाटा को एन0आई0सी द्वारा निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर परीक्षण करके शुद्ध डाटा पर निर्णय हेतु जनपदीय लॉगिन पर व छात्र के आवेदन पत्र हुयी त्रुटियों के संशोधन हेतु डाटा छात्र की लॉगिन पर उपलब्ध कराना।	(12 जनवरी 2026 से 22 जनवरी 2026 तक सामान्य वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग/पिछडा वर्ग के छात्रों हेतु) (11 दिसम्बर 2025 से 22 दिसम्बर 2025 तक अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के छात्रों का डाटा जनपद स्तर पर लॉक करने हेतु प्राप्त होगा)
17	**त्रुटिपूर्ण आवेदन को छात्रों के स्तर से सही करना** – छात्र/छात्रा द्वारा किये गये ऑनलाइन आवेदन में त्रुटियों को छात्र के लोगिन में प्रदर्शित किया जाना तथा छात्र द्वारा त्रुटियों को ठीक किया जाना।	(23 जनवरी 2026 से 28 जनवरी 2026 तक सामान्य वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग/पिछडा वर्ग के छात्रों हेतु)
18	**छात्रों द्वारा सही आवेदन को जमा करना एवं संस्था द्वारा पुनः अग्रसारित कराना** – शिक्षण संस्थान द्वारा ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करना, अपात्र छात्रों का आवेदन निरस्त करना तथा पात्र छात्रों का आवेदन ऑनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	(23 जनवरी 2026 से 31 जनवरी 2026 तक सामान्य वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग/पिछडा वर्ग के छात्रों हेतु)
19	**एन0आई0सी0 द्वारा पुनः स्कूटनी** – छात्र द्वारा सही किये गये सन्देहास्पद डाटा को एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में विभिन्न बिन्दुओं पर पुनः परीक्षण करके जनपदीय लोगिन पर उपलब्ध कराना ।	(02 फरवरी 2026 से 12 फरवरी 2026 तक सामान्य वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग/पिछडा वर्ग के छात्रों हेतु)
20	**जनपदीय समिति द्वारा डाटा लॉक करना** – जनपदीय छात्रवृत्ति समिति द्वारा सन्देहास्पद एवं शुद्ध डाटा वाले छात्रों के डाटा पर निर्णय करना तथा जनपद विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से डाटा लॉक किया जाना।	(08 मार्च 2026 तक सामान्य वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग/पिछडा वर्ग के छात्रों हेतु) (23 दिसम्बर 2025 से 10 जनवरी 2026 तक अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के छात्रों हेतु)
21	**धनराशि का अन्तरण** – जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर पीएफएमएस प्रणाली के माध्यम से छात्र/छात्राओं के आधार सीडेड/एनपीसीआई से मैप्ड बैंक खातों में धनराशि अन्तरित करने की कार्यवाही।	(16 मार्च 2026 तक सामान्य वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग/पिछडा वर्ग के छात्रों हेतु) (24 जनवरी 2026 तक अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के छात्रों हेतु)

(तृतीय चरण / चतुर्थ चरण में समय–सारिणी के अनुसार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हेतु)

तृतीय चरण अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों हेतु

22	**शिक्षण संस्थान द्वारा आवेदन पत्र को ऑनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना –** शिक्षण संस्थान द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त करना, अपात्र छात्रों का आवेदन निरस्त करना तथा पात्र छात्रों का आवेदन ऑनलाइन सत्यापित करना।	10 जनवरी 2026 तक
23	**विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेन्सी द्वारा वास्तविक छात्रों का सत्यापन व अपात्र छात्र, पाठ्यक्रम व संस्था को ब्लॉक करना –** सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं एफिलियेटिंग एजेन्सी द्वारा संस्था में अध्ययनरत् वर्गवार वास्तविक छात्र संख्या की प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से ऑनलाइन सत्यापित करना। अपात्र छात्रों, पाठ्यक्रमों, संस्थाओं को ब्लॉक करना।	12 जनवरी 2026 से 24 जनवरी 2026 तक
24	**एन0आई0सी0 द्वारा स्क्रूटनी –** PFMS सॉफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त प्राप्त डाटा को एन0आई0सी द्वारा निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर परीक्षण करके शुद्ध डाटा पर निर्णय हेतु जनपदीय लॉगिन पर व छात्र के आवेदन पत्र हुयी त्रुटियों के संशोधन हेतु डाटा छात्र की लॉगिन पर उपलब्ध कराना।	12 जनवरी 2026 से 22 जनवरी 2026 तक
25	**त्रुटिपूर्ण आवेदन को छात्रों के स्तर से सही करना –** छात्र/छात्रा द्वारा किये गये ऑनलाइन आवेदन में त्रुटियों को छात्र के लोगिन में प्रदर्शित किया जाना तथा छात्र द्वारा त्रुटियों को ठीक किया जाना।	23 जनवरी 2026 से 28 जनवरी 2026 तक
26	**छात्रों द्वारा सही आवेदन को जमा करना एवं संस्था द्वारा पुनः अग्रसारित कराना –** शिक्षण संस्थान द्वारा ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करना, अपात्र छात्रों का आवेदन निरस्त करना तथा पात्र छात्रों का आवेदन ऑनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	31 जनवरी 2026 तक
27	**एन0आई0सी0 द्वारा पुनः स्क्रूटनी –** छात्र द्वारा सही किये गये सन्देहास्पद डाटा को एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में विभिन्न बिन्दुओं पर पुनः परीक्षण करके जनपदीय लोगिन पर उपलब्ध कराना ।	02 फरवरी 2026 से 12 फरवरी 2026 तक
28	**जनपदीय समिति द्वारा डाटा लॉक करना –** जनपदीय छात्रवृत्ति समिति द्वारा सन्देहास्पद एवं अवशेष शुद्ध डाटा वाले छात्रों के डाटा पर निर्णय करना तथा जनपद विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से डाटा लॉक किया जाना।	28 फरवरी 2026 तक
29	**धनराशि का अन्तरण –** जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर पीएफएमएस प्रणाली के माध्यम से छात्र/छात्राओं के आधार सीडेड/एनपीसीआई से मैप्ड बैंक खातों में धनराशि अन्तरित करने की कार्यवाही।	10 मार्च 2026 तक
	चतुर्थ चरण	
30	**शिक्षण संस्थान द्वारा आवेदन पत्र को ऑनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना –** शिक्षण संस्थान द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त करना, अपात्र छात्रों का आवेदन निरस्त करना तथा पात्र छात्रों का आवेदन ऑनलाइन सत्यापित करना।	16 अप्रैल 2026 तक

31	**विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेन्सी द्वारा वास्तविक छात्रों का सत्यापन व अपात्र छात्र, पाठ्यक्रम व संस्था को ब्लॉक करना –** सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं एफिलियेटिंग एजेन्सी द्वारा वर्गवार वास्तविक छात्र संख्या की प्रमाणिकता को सत्यापित करना। अपात्र छात्रों, पाठ्यक्रमों, संस्थाओं को ब्लॉक करना।	17 अप्रैल 2026 से 30 अप्रैल 2026 तक
32	**एन0आई0सी0 द्वारा स्कूटनी –** PFMS सॉफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त प्राप्त डाटा को एन0आई0सी द्वारा निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर परीक्षण करके शुद्ध डाटा पर निर्णय हेतु जनपदीय लॉगिन पर व छात्र के आवेदन पत्र हुयी त्रुटियों के संशोधन हेतु डाटा छात्र की लॉगिन पर उपलब्ध कराना।	17 अप्रैल 2026 से 28 अप्रैल 2026 तक
34	**त्रुटिपूर्ण आवेदन को छात्रों के स्तर से सही करना –** छात्र/छात्रा द्वारा किये गये ऑनलाइन आवेदन में त्रुटियों को छात्र के लोगिन में प्रदर्शित किया जाना तथा छात्र द्वारा त्रुटियों को ठीक किया जाना।	29 अप्रैल 2026 से 06 मई 2026 तक
35	**छात्रों द्वारा सही आवेदन को जमा करना एवं संस्था द्वारा पुनः अग्रसारित कराना –** ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकॉपी छात्र/छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना तथा शिक्षण संस्थान द्वारा छात्र के अभिलेखों से मिलान किया जाना एवं ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करना, अपात्र छात्रों का आवेदन निरस्त करना तथा पात्र छात्रों का आवेदन आनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	29 अप्रैल 2026 से 13 मई 2026 तक
36	**एन0आई0सी0 द्वारा पुनः स्कूटनी –** छात्र द्वारा सही किये गये सन्देहास्पद डाटा को एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में विभिन्न बिन्दुओं पर पुनः परीक्षण करके जनपदीय लोगिन पर उपलब्ध कराना ।	14 मई 2026 से 21 मई 2026 तक
37	**जनपदीय समिति द्वारा डाटा लॉक करना –** जनपदीय छात्रवृत्ति समिति द्वारा सन्देहास्पद एवं अवशेष शुद्ध डाटा वाले छात्रों के डाटा पर निर्णय करना तथा जनपद विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से डाटा लॉक किया जाना।	10 जून 2026 तक
38	**धनराशि का अन्तरण –** जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर पीएफएमएस प्रणाली के माध्यम से छात्र/छात्राओं के आधार सीडेड/एनपीसीआई से मैप्ड बैंक खातों में धनराशि अन्तरित करने की कार्यवाही।	22 जून 2026 तक

नियमावली में समस्त हितधारकों द्वारा उपरोक्त समय–सारिणी में उल्लिखित व्यवस्थाओं के साथ–साथ निर्धारित समयावधि में निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी –

1– संस्था स्तर से छात्रों के आवेदन पत्र अग्रसारण की कार्यवाही सम्बन्धित विश्वविद्यालय / एफिलियेटिंग एजेंसी/जिला कल्याण अधिकारी के स्तर से मास्टर डाटा (कोर्स, फीस व सीट) लॉक होने के उपरांत ही की जायेगी।

2– उक्त समय–सारिणी के समयावधि के अन्तर्गत वार्षिक परीक्षाफल अथवा सेमेस्टर होने की दशा में दोनों सेमेस्टर का परीक्षाफल घोषित होने के बाद उत्तीर्ण / प्रोन्नत (Promoted with marks) होने पर अथवा सम्बन्धित पाठ्यक्रम की परीक्षा आयोजित हुई है, किन्तु परीक्षाफल घोषित नहीं हुआ है, की स्थिति में छात्र अपने आवेदन पत्र का नवीनीकरण करेंगे।

उत्तीर्ण/प्रोन्नत (Promoted with marks) न होने पर अथवा सम्बन्धित पाठ्यक्रम की परीक्षा आयोजित न होने पर शिक्षण संस्था द्वारा आवेदन पत्र अग्रसारित नहीं किया जायेगा। परीक्षा आयोजित होने के पश्चात परीक्षाफल घोषित न होने की स्थिति में संस्था द्वारा Result Not Yet Declared आप्शन चुनकर आवेदन को फ्रीज किया जायेगा तथा संस्था स्तर पर आवेदन पत्र संशोधन किये जाने की अवधि में एन०आई०सी० द्वारा संशोधन हेतु संस्था की

लॉगिन पर प्रेषित किया जायेगा, जिससे कि पाठ्यक्रमों में परीक्षाफल घोषित होने की स्थिति में पूर्णांक/प्राप्तांक को संस्था द्वारा भरा जायेगा। उक्त निर्देशों का विचलन किये जाने पर संस्था के विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी।

3— नवीनीकरण छात्र की अगली कक्षा में प्रवेश की तिथि तथा गत कक्षा का परीक्षाफल व नामांकन संख्या (Enrollment Number) को संस्था द्वारा अंकित किया जायेगा।

4— संस्था द्वारा छात्र का आवेदन ऑनलाइन अग्रसारित करते समय परीक्षाफल घोषित होने की स्थिति में छात्र का गत वर्ष का परीक्षाफल (सेमेस्टर होने की दशा में दोनो सेमेस्टर के अंकों को जोड़ते हुए) का पूर्णांक एवं प्राप्तांक तथा उपस्थिति का प्रतिशत सही रूप में भरना अनिवार्य होगा।

5— विश्वविद्यालय एवं एफिलियेटिंग एजेन्सी द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होते ही तत्काल छात्रवृत्ति पोर्टल पर अपने लॉगिन से निर्धारित माड्यूल पर अपलोड किया जायेगा, जिससे कि स्क्रूटनी के समय मिलान किया जा सके।

6— विभिन्न हितधारकों के स्तर से लम्बित अवशेष पात्र छात्रों को अगले चरण में सम्मिलित किया जायेगा।

7— किसी भी हितधारक के स्तर पर प्राप्त आवेदनों पर समयान्तर्गत निर्णय लिया जायेगा। आवेदन पत्र को सही होने की स्थिति में वेरीफाई करके अग्रसारित किया जायेगा तथा गलत होने की स्थिति में निरस्त किया जायेगा। किसी भी दशा में अपने स्तर पर लम्बित नहीं रखा जायेगा। शिक्षण संस्थान, विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी तथा जनपदीय कल्याण अधिकारी के स्तर पर आवेदन लम्बित होने पर सम्बन्धित नोडल अधिकारी का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।

अतएव उक्त के सम्बन्ध में उपरोक्त समय–सारिणी का भलि–भॉति अध्ययन कर सुसंगत शासनादेशों / छात्रवृत्ति नियमावलियों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार वित्तीय वर्ष शैक्षिक सत्र 2025–26 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत उच्च कक्षाओं में अध्ययनरत्त समस्त वर्गों के छात्र/छात्राओं को शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के आवेदन पत्रों पर नियमानुसार क्रियान्वयन सुनिश्चित करें।

27-6/25

(राहुल पाण्डेय)
जिलाधिकारी
हाथरस।

पृष्ठांकन संख्या/दिनांक तदैव।
प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. निदेशक, समाज कल्याण,/पिछडा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2. निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उ0प्र0 लखनऊ।
3. मुख्य विकास अधिकारी, हाथरस।
4. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी अलीगढ़– आगरा।
5. उप निदेशक समाज कल्याण अलीगढ मण्डल, अलीगढ़।
6. संयुक्त निदेशक, (प्रशि0/शिक्षु) अलीगढ़ मण्डल अलीगढ़।
7. कुल सचिव, राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़।
8. कुल सचिव अब्दुल कलाम टैक्नीकल विश्वविद्यालय लखनऊ।
9. सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, बॉस मण्डी चौराहा उ0प्र0 लखनऊ।
10. सचिव, मैडिकल फैकल्टी, उ0प्र0 लखनऊ।
11. परीक्षा नियामक प्राधिकारी एलनगंज उ0प्र0 इलाहाबाद।
12. रजिस्ट्रार, आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा, पद्धति बोर्ड धन्वन्तरि भवन, 7 लालबाग लखनऊ।
13. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान हाथरस।
14. जिला विद्यालय निरीक्षक, हाथरस।
15. जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी हाथरस।
16. प्राचार्या, महाराणा प्रताप राजकीय महाविद्यालय सिकन्दराराऊ।
17. प्रधानाचार्य, महामाया पॉलिटेक्निक हाथरस।
18. प्रधानाचार्य, राजकीय आई0टी0आई0 सिकन्दराराऊ हाथरस।

जिलाधिकारी
हाथरस।

लॉगिन पर प्रेषित किया जायेगा, जिससे कि पाठ्यक्रमों में परीक्षाफल घोषित होने की स्थिति मे पूर्णांक/प्राप्तांक को संस्था द्वारा भरा जायेगा। उक्त निर्देशों का विचलन किये जाने पर संस्था के विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी।

3– नवीनीकरण छात्र की अगली कक्षा में प्रवेश की तिथि तथा गत कक्षा का परीक्षाफल व नामांकन संख्या (Enrollment Number) को संस्था द्वारा अंकित किया जायेगा।

4– संस्था द्वारा छात्र का आवेदन ऑनलाइन अग्रसारित करते समय परीक्षाफल घोषित होने की स्थिति में छात्र का गत वर्ष का परीक्षाफल (सेमेस्टर होने की दशा में दोनो सेमेस्टर के अंकों को जोड़ते हुए) का पूर्णांक एवं प्राप्तांक तथा उपस्थिति का प्रतिशत सही रूप में भरना अनिवार्य होगा।

5– विश्वविद्यालय एवं एफिलियेटिंग एजेन्सी द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होते ही तत्काल छात्रवृत्ति पोर्टल पर अपने लॉगिन से निर्धारित माड्यूल पर अपलोड किया जायेगा, जिससे कि स्क्रूटनी के समय मिलान किया जा सके।

6– विभिन्न हितधारकों के स्तर से लम्बित अवशेष पात्र छात्रों को अगले चरण में सम्मिलित किया जायेगा।

7– किसी भी हितधारक के स्तर पर प्राप्त आवेदनों पर समयान्तर्गत निर्णय लिया जायेगा। आवेदन पत्र को सही होने की स्थिति में वेरीफाई करके अग्रसारित किया जायेगा तथा गलत होने की स्थिति में निरस्त किया जायेगा। किसी भी दशा में अपने स्तर पर लम्बित नहीं रखा जायेगा। शिक्षण संस्थान, विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी तथा जनपदीय कल्याण अधिकारी के स्तर पर आवेदन लम्बित होने पर सम्बन्धित नोडल अधिकारी का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।

अतएव उक्त के सम्बन्ध में उपरोक्त समय–सारिणी का भलि–भॉति अध्ययन कर सुसंगत शासनादेशों / छात्रवृत्ति नियमावलियों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार वित्तीय वर्ष शैक्षिक सत्र 2025–26 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत उच्च कक्षाओं में अध्ययनरत्त समस्त वर्गों के छात्र/छात्राओं को शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के आवेदन पत्रों पर नियमानुसार क्रियान्वयन सुनिश्चित करें।

(राहुल पाण्डेय)
जिलाधिकारी
हाथरस।

पृष्ठांकन संख्या/दिनांक तदैव।
प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. निदेशक, समाज कल्याण,/पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2. निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उ0प्र0 लखनऊ।
3. मुख्य विकास अधिकारी, हाथरस।
4. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी अलीगढ़– आगरा।
5. उप निदेशक समाज कल्याण अलीगढ़ मण्डल, अलीगढ़।
6. संयुक्त निदेशक, (प्रशि0/शिक्षु) अलीगढ मण्डल अलीगढ।
7. कुल सचिव, राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़।
8. कुल सचिव अब्दुल कलाम टैक्नीकल विश्वविद्यालय लखनऊ।
9. सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, बॉस मण्डी चौराहा उ0प्र0 लखनऊ।
10. सचिव, मैडिकल फैकल्टी, उ0प्र0 लखनऊ।
11. परीक्षा नियामक प्राधिकारी एलनगंज उ0प्र0 इलाहाबाद।
12. रजिस्ट्रार, आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा, पद्धति बोर्ड धन्वन्तरि भवन, 7 लालबाग लखनऊ।
13. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान हाथरस।
14. जिला विद्यालय निरीक्षक, हाथरस।
15. जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी हाथरस।
16. प्राचार्या, महाराणा प्रताप राजकीय महाविद्यालय सिकन्दराराऊ।
17. प्रधानाचार्य, महामाया पॉलिटेक्निक हाथरस।
18. प्रधानाचार्य, राजकीय आई0टी0आई0 सिकन्दराराऊ हाथरस।

जिलाधिकारी
हाथरस।